संख्या-53/2017/आर-815/26-3-2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2017

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-141/स.क./ए0वि0यो0/2015-16, दिनांक-16.02.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित **एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर** में विकास कार्यो हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल रूपया-1190.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपया-595.12 लाख (रूपया पांच करोड़ पन्चानबे लाख बारह हजार मात्र) को संलग्न प्रपत्र(बी.एम-9) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

जनपद-सिद्धार्थनगर (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नौगढ़	सिंहोरवां	सी0सी0रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य	99.15	49.575
2	"	महुवा फतुहवा	"	99.48	49.74
3	"	धरमौली	"	99.47	49.735
4	"	भरमी	"	99.106	49.553
5	"	सपही	"	99.39	49.695
6	"	हरनी बुर्जग	"	99.14	49.57
7	"	पटखौली	"	99.37	49.685
8	"	बड़गो	"	99.27	49.635
9	"	पेडारी	"	99.27	49.635
10	"	बगही	"	98.714	49.357
11	"	दैजौली	"	99.29	49.645
12	"	परसामहापात्र	"	98.59	49.295
			योग	**1190.24**	**595.12**

(1)- निदेशालय द्वारा स्वीकृत धनराशि को तत्काल सम्बन्धित जनपद को आवंटित कर दी जायेगी। प्रश्नगत कार्य को प्रारंभ किये जाने हेतु धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी।

(2)- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से निर्गत वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-6/2015/ई-8/1320/दस-2015-53/2005, दिनांक-18.11.2015 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, निर्माण' (सी.एल.डी.एफ.) इकाई, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में निर्धारित दर के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अधिष्ठान व्यय मद में 6.85 प्रतिशत के अनुसार धनराशि चार्ज होगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के उपरांत तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण मे विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(3)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5)- संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(7)- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य"के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0-एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-53/2017/आर.815(1)/26-3-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,सिद्धार्थनगर।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड निर्माण इकाई, गोरखपुर।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9 (पार्ट–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम :– 83 व समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 2016–2017 (धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ–0104–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के.90/रा.10–के.+रा.)–42–अन्य व्यय–	9450000	59512	59512	59512	9390488
योग	9450000	59512	59512	59512	9390488

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789– अनुसचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	416050	475562	59512	59512	475562
योग	416050	475562	59512	59512	475562

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तिविक आवश्यकता के कारण है।
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:–योजनान्तर्गत कार्यो को कराये जाने हेतु।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या–आर0ई0– 616 /दस–2017, दि0 17-3-17

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

संख्या–53/2017/ग्रा5 (1)/26–3–17, दिनांक 31 मार्च, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग–7), उ0प्र0 शासन।
5– जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
6– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
9– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
11– ग्राम्य विकास अनुभाग–7/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
12– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव

http://shasana

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।